राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 58 / 2021

रामेश्वरलाल कराड़ पुत्र सूरजभान कराड़ उम्र 65 वर्ष जाति धानक निवासी नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद मकान नं. 254 ए, ब्लॉक ई, हमदर्द नगर, पुष्पा भवन, हौज खास दक्षिण दिल्ली।

........वादी

ब–ना–म

1. गुरूदयाल पुत्र गणेशा
2. पितराम पुत्र गणेशा
3. सरदारा पुत्र गणेशा
   समस्त जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक।
5. इण्डियन ओवरसजी बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास जरिये शाखा प्रबंधक।
6. तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–: निर्णय :–

दिनांक 07–10–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02–08–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 270 खसरा नंबर 438 रकबा 0.58 है. में वादी का 1/4 हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मद्देनजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ. / 2022 / 3407 दिनांक 21.09.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ीठासीन अधिकारी -- जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

रामेश्वरलाल कराड़

ब–ना–म

गुरूदयाल आदि

ावा बाबत **खाता विभाजन**

ुकदमा नम्बर :– **58/2021**

ि़र्णय दिनांक :– **07–10–2022**

वादी की ओर से **श्री ग्यारसीलाल गुर्जर एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... ो उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **07–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के ेए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. ा–6" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21–09–2022 ्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **07–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी